पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अब
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि... 18/12/23

18/12/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. उपस्थित की ओर से कोई उप. वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 20/12/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

C/N.— 287/18

20/12/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्र. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि किया गया।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 287/2018

1. रामजीवण पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 (मृतक)

1/1. बरजी पत्नि स्व0 श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/2. भागचन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/3. फूला पुत्री स्व0 श्री रामजीवण पत्नि श्री लक्ष्मण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासिन अंराई मार्ग, गुर्जरों का बाड़ा किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/4. छोटू पुत्र स्व0 श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/5. जनता पुत्री स्व0 श्री रामजीवण पत्नि श्री जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासिन मेहगांव तहसील पीपलाद जिला नागौर राज0

1/6. सोपाल पुत्र स्व0 श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

1/7. सायर पुत्री स्व0 श्री रामजीवण पत्नि श्री विश्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासिन ग्राम मोतीपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. दयाल पुत्र कल्ला जाति गुर्जर
2. गोपाल पुत्र कल्ला जाति गुर्जर
3. सूरजकरण पुत्र कल्ला जाति गुर्जर

सर्व निवासी ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

**निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

दिनांकः 20/12/2023

उपस्थितः इन्द्रेश कुमार — प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 अभिभाषक

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम टोंकड़ा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 भूमि के अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बहिस्सा बराबर–बराबर के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में से 05–11–00 भूमि प्रार्थी को दिनांक 28.11.2016 के पंजीयत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय की थी। उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयक किशनगढ़ कार्यालय में दिनांक 07.12.2016 को पंजीबद्ध किया गया था। प्रार्थी अपंग व्यक्ति है तथा उक्त भूमि का प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 प्रार्थी को उसके विधिवत् पंजीयत विक्रय विलेख से खरीदशुदा भूमि में काश्त कार्यो में बाधा कर प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बलात् बेदखल कर, पुनः उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 अन्य को अन्तरण किये जाने में उद्दत हो रहे है। अप्रार्थीगण अपने राजनैतिक प्रभाव के रहते हुये प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज नहीं होने दे रहे है एवं प्रार्थी को उसकी खरीदशुदा वैध, अधिकार, मिलकीयत की कृषि भूमि में काश्त कार्यो में बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.08.2018 को अप्रार्थी सं0 4 के समक्ष विक्रय विलेख प्रस्तुत कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने बाबत् भी प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.08.2018 को प्रार्थी एवं उसके पुत्रों से आमादा फसाद कर धमकी दी कि वह उपरोक्त भूमि पुनः अन्य को उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के विक्रय विलेख के तथ्यों का लोप कर खुर्द बुर्द कर देंगे। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्ध पारित की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, उनके हितबद्ध, परिजन, असाईनिस प्रार्थी की ग्राम टोंकड़ा स्थित खरीदशुदा कृषि भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 में से 05–11–00 भूमि में प्रार्थी के काश्त कार्यो में किसी प्रकार से बाधा, दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थी को बलात् बेदखल नहीं करे एवं उपरोक्त भूमि को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री रतनलाल चौधरी द्वारा वकालतनाम व जवाब

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम टोंकड़ा स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 भूमि में से रकबा 05–11–00 भूमि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 28.11.2016 के पंजीयत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय की थी। उक्त भूमि का प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 प्रार्थी को उसके विधिवत् पंजीयत विक्रय विलेख से खरीदशुदा भूमि में काश्त कार्यो में बाधा कर प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बलात् बेदखल कर, पुनः उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 अन्य को अन्तरण किये जाने में उद्दत हो रहे है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्ध पारित की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, उनके हितबद्ध, परिजन, असाईनिस प्रार्थी की ग्राम टोंकड़ा स्थित खरीदशुदा कृषि भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 में से 05–11–00 भूमि में प्रार्थी के काश्त कार्यो में किसी प्रकार से बाधा, दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थी को बलात् बेदखल नहीं करे एवं उपरोक्त भूमि को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त नहीं करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीयत विक्रय विलेख दिनांक 07.12.2016 की छायाप्रति अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 भूमि में से रकबा 05–11–00 भूमि प्रार्थी (मृतक) की खरदीशुदा भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

/2018

वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् प्रस्तुत बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 195 रकबा 14–18–00 भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)